REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072025-264652 CG-DL-E-14072025-264652

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3134]नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2025/आषाढ़ 23, 1947No. 3134]NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2025/ASHADHA 23, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

का.आ. 3204(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' को, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित, उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में 'निकाय के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनों के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण अर्थात हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;
- (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार अथवा हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

- (ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; और
- (ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज.

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि प्रत्येक "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण"-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए लागू मानी जाएगी तथा कर निर्धारण वर्ष 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 के लिए संगत होगी।

अनुसूची

| क्र. सं. | प्राधिकरण का नाम | पैन |
|----------|-------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुड़गांव | AAAGD0052Q |
| 2 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात | AAAGD0111N |

[अधिसूचना संख्या 115 /2025/फा. सं. 300196/64/2018-आईटीए-I(भाग 1)]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

विवरणात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2025

S.O. 3204(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Legal Service Authority' as specified in the Schedule to this notification, constituted by Government of Haryana for every District in the State of Haryana in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), as a 'class of body' in respect of the following specified income arising to that body, namely:—

- Grants received from the Punjab and Haryana High Court, Central Authority i.e. National Legal Services Authority and State Authority i.e. Haryana State Legal Services Authority for the purposes of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- (b) Grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- (c) Amount received under the order of the Court;

- (d) Fee received as recruitment application fee; and
- (e) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the District Legal Service Authority-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2024-2025 and shall apply with respect to the assessment years 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029.

SCHEDULE

| S. No. | Name of the Authority | PAN |
|--------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | District Legal Service Authority, Gurgaon | AAAGD0052Q |
| 2 | District Legal Service Authority, Mewat | AAAGD0111N |

[Notification No. 115/2025/F. No. 300196/64/2018-ITA-I(Part-1)]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.